

# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,  
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष: 0141-2700459, फ़ैक्स: 2700459 E-mail: civil.rcse@gmail.com

क्रमांक:- RCSE/Civil /F 128/ D- 1781


दिनांक: 20/8/2018

## अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या 06 (सिविल) /2018-19 (अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में डिजिटलईजेशन ब्लॉक निर्माण कार्य हेतु)

राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, राजस्थान की ओर से राज्य एवं केन्द्र सरकार के राजकीय/अर्द्धशासकीय/स्वायत्तशासी निकायों में सक्षम श्रेणी में निर्माण कार्य हेतु पंजीकृत संवेदको से निम्न निर्माण कार्य हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	जिले का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत राशि लाख में
1	टोंक	अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में डिजिटलईजेशन ब्लॉक निर्माण कार्य	134.39
<b>Total</b>			<b>134.39</b>

- निविदा से सम्बन्धित समस्त विस्तृत विवरण वेबसाईट <http://rajrmsa.nic.in>, <http://sppp.rajasthan.gov.in> एव <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।
- निविदा से सम्बन्धित प्रक्रिया जिला परियोजना समन्वयक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यालय जिला टोंक के स्तर से की जावेगी।

  
(शिवांगी स्वर्णकार)  
राज्य परियोजना निदेशक  
समग्र शिक्षा अभियान,  
राजस्थान



## राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

भू-तल, ब्लॉक-6, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,  
जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर।

फोन:- 0141-2709846, 2700872

178)  
20/8/18

क्रमांक:- RCSE/Civil / SF- 128 / D- 1781		दिनांक: 20/8/2018	
अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या - 06 ( सिविल ) / 2018-19			
राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, राजस्थान की ओर से राज्य एवं केन्द्र सरकार के राजकीय/अर्द्धशासकीय/स्वायत्तशासी निकायों में सक्षम श्रेणी में निर्माण कार्य हेतु पजीकृत संवेदको से निम्न निर्माण कार्य हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-			
क्र.सं.	जिले का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत राशि लाख में
1	टोंक	अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में डिजिटाइजेशन ब्लॉक निर्माण कार्य	134.39
Total			134.39

निविदा प्रपत्र को वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://rajrmsa.nic.in> एवं <http://sppp.raj.nic.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदा में भाग लेने वाले संवेदको को निविदा इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा करवानी होगी।

- धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी, जिसे अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय जिला टोंक में राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अथवा संबंधित अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के निजी निक्षेप खाते (PD Account) में ईग्रस (Egras) के माध्यम से जमा करवाना होगा।
- कार्य की कार्य पूर्ण करने की अवधि 11 माह होगी।
- फर्म को प्रथम भुगतान से पहले दिनांक 30.06.2017 तक का वैध सैल्स टैक्स क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- फर्म का वैध GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य है।
- भवन निर्माण कार्य की लागत रु. 100.00 लाख से उपर है अतः कार्य की निविदा के लिए पोटेंशियल बिड पद्धति अपनाई जायेगी एवं तकनीकी आंकलन में सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोलने की सूचना निविदादाताओं को ई-मेल से दी जायेगी।
- सभी शर्तें अधिकारिक निविदा प्रपत्र के अनुसार मान्य होगी।
- निविदा प्रपत्र को डाउनलोड करने की अवधि दिनांक 29/08/2018 प्रातः 10.00 बजे से 10/09/2018 को सांय 6.00 बजे तक होगी।
- (अ)- निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेब साइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 10/09/2018 सांयकाल 6.00 बजे तक जमा करवाये जा सकते हैं एवं प्राप्त निविदायें, इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर जिला परियोजना समन्वयक टोंक द्वारा दिनांक 11/09/2018 को अपराह्न 02.00 बजे खोली जाएगी। यदि उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उस समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेगी।
- (ब) निविदा जमा करवाने एवं उसके बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया आनलाईन होगी।
- जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय जिला टोंक में संवेदक द्वारा दिनांक 29/08/2018 से 10/09/2018 तक किसी भी कार्य दिवस में 11.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है। वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://rajrmsa.nic.in> एवं <http://sppp.raj.nic.in> पर भी दिनांक 10/09/2018 को सांय 06.00 बजे तक देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र में निविदादाता के लिए योग्यता सूचना, निविदादाता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग, विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरो का विवरण, नियम शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।
- निविदादाता द्वारा कार्य हेतु निम्नलिखित राशि अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय जिला टोंक में राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अथवा संबंधित अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक जिला टोंक के निजी निक्षेप खाते (PD Account) में ईग्रस (Egras) के माध्यम से जमा करवाना होगा।

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	देय
1	निविदा शुल्क	1000/-	DD/ Bankers Cheque Issued by Nationalised or Scheduled Bank / PD account through Egras	डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/पी.डी. खाते में ईग्रास के माध्यम से अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक जिला टॉक
2	धरोहर राशि	2% of Estimated cost	DD/ Bankers Cheque/ Bank Gurantee ( Valid for 90 days ) Nationalised or Scheduled Bank / PD account through Egras	डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/पी.डी. खाते में ईग्रास के माध्यम से अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक जिला टॉक
3	ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क	500/- (Work costing less than Rs. 50.00 lacs) 1000/- (Work costing Rs. 50.00 lacs & Above)	DD/ Bankers Cheque Issued by Nationalised or Scheduled Bank / PD account through Egras	डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक M.D.,R.I.S.L Jaipur/ पी.डी. खाते में ईग्रास के माध्यम से अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक जिला टॉक

नोट:- ईग्रास के माध्यम से PD Account में राशि जमा कराने की प्रक्रिया

i. Open the website: [egras.raj.nic.in](http://egras.raj.nic.in)

ii. Enter user name:- guest

password:- guest

Enter code

iii. Select

Department:- 105-Treasury and accounts

Major Head:- 8443-सिविल जमा

Sub Head:- 8443-00-106-00-00 व्यक्तिगत जमा

Submit

iv. Location District

Treasury office name

Period:- one time

Amount

PD account/Division code:- सम्बन्धित अति.जिला परियोजना समन्वयक का चयन करें।

Payment Detail :- Manual/Online ( in case of manual payment, take a print out of challan & make payment in bank)

Personal Detail:-

Remarks:- Mention Nit No. and S.No. of the work

Submit

After completing above process (including payment), submit copy of the challan to the ADPC office with other documents.


निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं 'ई-टेण्डरिंग' प्रक्रिया शुल्क से सम्बन्धित दस्तावेज निविदादाता द्वारा सम्बन्धित कार्यालय में दिनांक 11/09/2018 को 12.00 बजे मध्याह्न तक जमा करवाना आवश्यक है।

निविदा में संशोधन निविदा जारी करने के उपरान्त <http://sppp.rajasthan.gov.in>, <http://rajrmsa.nic.in> एवं

11 <http://eproc.rajasthan.gov.in> वेबसाईट पर ही किये जायें। निविदादाताओं द्वारा वेबसाईट पर संशोधन / स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं करने के संबंध में किसी भी दावे का स्वीकार नहीं किया जायेगा।

12 ई-टेण्डरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश

- अ निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से हस्ताक्षर प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
- ब निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- स इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्र को जमा करवाने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि निविदा प्रपत्र से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गयी है।
- द किसी निविदादाता द्वारा यदि इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्र जमा करवाने में देरी हो जाती है तो उसके लिए परिषद जिम्मेदार नहीं होगी।
- य निविदा प्रपत्र की सभी प्रपत्रों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाइन दर्ज करे।
- र ऑनलाइन निविदा भरते समय संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप निविदा प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिए परिषद जिम्मेदार नहीं होगी।
- ल सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- व निविदा एवं उसके किसी भी भाग को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान राजस्थान को है।
- श किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र कार्य से संबंधित जिले का जिला मुख्यालय होगा।

  
अधीक्षक अभियंता  
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद  
जयपुर